न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1078-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.2.14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी प्रकरण कमांक 32/पुनरीक्षण/अ-6/2012-13

1-- श्रीमती सुमित्राबाई बेवा स्व. श्री माधवप्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.

2-- अजीत कुमार सेन वल्द स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली माँ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.

3-- उज्जवल सेन वल्द स्व. श्री माधवप्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली माँ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.

4-- गायत्री सेन वल्द स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली माँ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र. ------ आवेदकगण

विरूद्ध

परभीबाई बेवा बाबूलाल सेन
निवासी ग्राम खन्नाबंजारी तह. बरही
जिला कटनी म.प्र. ------ अनावेदक

श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, आवेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

अ--6/12--13 में पारित आदेश दिनांक 1--2--14 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है

2-- प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि ग्राम रन्ना बरारी निवासी छुटई सेन के दो पुत्र बाबूलाल एवं मुलई थे। बाबूलाल के कोई संतान नहीं थी, मुलई सेन के ... पुत्र थे । बाबूलाल द्वारा भाई मुलई के छोटे पुत्र माधव के पक्ष मे अपनी सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 5--11--89 को की गई । वर्ष 2009 मे बाबूलाल की मृत्यु होने पर माधव सेन द्वारा संशोधन दर्ज कराने का प्रयास किया गया परंतु हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया । माधव सेन द्वारा वसीयत पेश न करने पर अनावेदक परभी बाई के नाम संशोधन कमांक 01 आदेश दिनांक .2-..--09 दर्ज किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 4-6-1.. द्वारा स्वीकार की एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 14-3--14 को पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय मे पेश की गई है

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है। लिखित बहस में यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण मे गुणदोष पर आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के न्यायालय मे संहिता की धारा 44(25) के तहत होना चाहिए थी । अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण चलने योग्य नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी चलने योग्य नहीं थी क्योंकि संहिता में हुए संशोधन 3.12.1. के उपरांत कलेक्टर/अपर कलेक्टर को आदेश पर पुनरीक्षण सुनने के अधिकार समाप्त कर दिए गए है यह अधिकार केवल राजस्व मंडल को हैं । अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी ...--6--13 को पेश की है । अतः कलेक्टर द्वारा पारित विवादित आदेश शून्य आदेश होने से अपास्त किए जाने योग्य है । विचाराधिकार संबंधी आपत्ति किसी भी स्तर पर की जा सकती है

4-- अनावेदिका प्रकरण मे एकपक्षीय है।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी दिनांक 11–6–13 को पेश की गई है और उन्होंने उक्त निगरानी में आलोच्य आदेश दिनांक 1–2–14 को पारित किया गया है । संहिता की धारा 50 में हुए संशोधन दिनांक 30–12–11 के अनुसार कलेक्टर / अपर कलेक्टर को किसी पक्षकार के आवेदन पर पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है । संहिता में हुए संशोधन के प्रकाश में अनावेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण को उन्हें सुनने का अधिकार नही था अतः अपर कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार रहित होकर प्रारंभ से ही शून्य है । दर्शित परिस्थिति में उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता । चूंकि अपर कलेक्टर का आदेश इसी बिंदु पर निरस्ती योग्य है अतः आवेदक की ओर से उठाये गये अन्य बिंदुओं पर विचार आवश्यक नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर